न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।

परिवाद संख्या–07/2026

CNR No.UPAU120000222026

विनीत कुमार बनाम सुधीर कुमार।

अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट

थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–10.02.2026

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी विनीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि परिवादी का विवक्षी के यहां आना–जाना रहता था और अच्छे मधुर सम्बन्ध थे। विपक्षी को अपने प्लाट में मिट्टी डलवाने के लिये रूपयों की आवश्यकता थी और विपक्षी ने उसी कार्य के लिये एक लाख रूपये उधार लिये। परिवादी से विपक्षी ने 15.08.2025 को 50,000/–(पचास हजार रु0) रूपये अपने फोन नम्बर पर 9457765798 पर ट्रान्सफर कराये एवं 16.08.2025 को पुनः 50,000/– (पचास हजार रु0) रूपये परिवादी से विपक्षी ने अपने मोवाइल नम्बर 9457765798 पर ट्रान्सफर कराये। कुल मिलाकर 1,00,000/– (एक लाख रु0) रूपये विपक्षी के पास पहुंचा, जिसमें से विपक्षी ने परिवादी को दिनांक 20.01.2025 को 20,000/–(बीस हजार रु0) रूपये फोन पे नम्बर 6396694818 द्वारा ट्रान्सफर कर वापस कर दिये और शेष 80,000/–(अस्सी हजार रु0) रूपये विपक्षी को देने थे। परिवादी ने अपने दिये हुये 80,000/– रूपये वापस मांगे, तो आप विपक्षी ने पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बेला रोड दिबियापुर की खाता संख्या 4687000100153423 से एक चैक संख्या 234502 धनराशि मुव0 80,000/– रु0 की चैक दिनांक 10.09.2025 को दी थी। परिवादी ने उक्त चैक को दिनांक 04.11.2025 को अपने खाता सेन्ट्रल बैंक, बिधूना में भुगतान हेतु लगाई, तो विपक्षी के खाते में पैसा न होने के कारण उपरोक्त चैक अनादरित हो गयी और दिनांक 12.11.2025 को वापस कर दी गयी। असल चैक व असल मीमो संलग्न है। आवेदक ने विपक्षी सुधीर कुमार से सम्पर्क कर चैक अनादरण हो जाने के बावत अवगत कराया तथा विपक्षी उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के आशय से अपने अधिवक्ता से मिला और उन्हें सम्पूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराया, तो अधिवक्ता द्वारा विपक्षी उपरोक्त को वैधानिक नोटिस उपरोक्त पते पर दिनांक 03.12.2025 को पंजीकत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया, जो विपक्षी को प्राप्त हो गया, परन्तु विपक्षी द्वारा उपरोक्त चैक में उल्लिखित धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में विपक्षी को तलब कर दण्डित किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त को तलब कर दण्डित करने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ पत्र, मूल चैक एक अदद, सत्यप्रतिलिपि चैक वापसी का ज्ञापन/रिटर्न मैमो, मूल रजिस्ट्री रसीद, एक किता रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 03.12.2025 एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 223 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने परिवाद कथानक का समर्थन किया है। विपक्षी द्वारा दी गयी उक्त चैक को परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु लगाने के बाद बैंक द्वारा दिनांक

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2026.02.10 16:48:48 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

12.11.2025 को वापस कर दी गयी एवं चैक अनादरित हो गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी को दिनांक 03.12.2025 को विधिक नोटिस प्रेषित किया गया, जो विपक्षी पर दिनांक 06.12.2025 को तामील हो गया। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद समय सीमा के अन्तर्गत दिनांक 02.01.2026 को संस्थित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी सुधीर कुमार के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी सुधीर कुमार को अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **सुधीर कुमार** को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादी पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी हेतु दिनांक 10.03.2026 को पेश हो।

(डॉ0 प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP 3441